Manvendra Mandal R.M.M. Law College Saharsa. 28.04.2020
part time lecturer
Contract - II

③ प्रत्याभूति की संविदा
(Contract of guarantee)
(Section - 126)
अर्थ एवं मुख्य विशेषताएं

प्रत्याभूति की संविदा से तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा वचन में चूक की दशा में उसकी प्रतिज्ञा का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा से है (धारा-126) प्रत्याभूति की संविदा में मुख्य रूप से तीन पक्षकार होते हैं। इस संविदा में एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को यह वचन देता है कि यदि तीसरा व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है या अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो वह उसकी प्रतिज्ञा का पालन करेगा या उसके दायित्व का निर्वहन करेगा। उदाहरण के लिए मोहन सोहन से 1000 रु० ऋण के रूप में लेता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह उसे एक वर्ष के अन्दर वापस कर देगा। ललन मोहन को वचन देता है कि यदि सोहन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता है तो वह उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। यह प्रत्याभूति की संविदा है।

इस संविदा में जो व्यक्ति प्रत्याभूति (Guarantee) देता है उसे "प्रतिभू" (surety) कहते हैं, जिस व्यक्ति के चूक के सम्बन्ध में Guarantee दी जाती

Scanned with CamScanner

उसे मूलऋणी (principal debtor) तथा जिस व्यक्ति को Guarantee दी जाती है, उसे लेनदार (creditor) कहते हैं।

विशेषताएं

(i) यह संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम (चूक) की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है।

प्रत्याभूति की संविदा में तीन पक्षकार होते हैं (a) प्रतिभू (surety) (b) मूलऋणी (principal debtor) (c) creditor लेनदार या ऋणदाता और तीनों के मध्य अलग-2 संविदा होती है।

पहली मूलऋणी और लेनदार के मध्य संविदा होती है जिसके अन्तर्गत principal debtor अपना दायित्व को पूरा करने का प्रतिज्ञा करता है। तत्पश्चात surety और creditor के मध्य संविदा होती है जिसके अन्तर्गत प्रतिभू यह प्रतिज्ञा करता है कि यदि मूलऋणी अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने में या अपने दायित्व का निर्वहन करने में चूक करता है तो वह उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। तीसरी संविदा प्रतिभू और मूलऋणी के मध्य होती है जिसके द्वारा वह प्रतिभू को क्षतिपूर्ति करने की विवक्षित (Implied) प्रतिज्ञा करता है और परिणामस्वरूप प्रतिभू उन राशियों को जो उसने Guarantee के अन्तर्गत अधिकारपूर्वक दिया है, मूलऋणी से वसूल कर सकता है।

प्रत्याभूति की संविदा का मुख्य उद्देश्य ऋणदाता को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इस संविदा में मूलऋणी ऋणदाता से वचन का पालन करने की प्रतिज्ञा तो करता ही है, उसके अतिरिक्त surety भी लेनदार को वचन देता है कि यदि मूल ऋणी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो वह स्वयं principal debtor के दायित्व का पालन करेगा। इस प्रकार लेनदार को principal debtor द्वारा चूक के कारण होने वाली हानि की संभावना से भी सुरक्षा मिल जाती है। प्रतिभू को भी मूलऋणी के विरुद्ध आनुतोष प्राप्त है और वह उन राशियों को जो उसने प्रत्याभूति के अन्तर्गत अधिकारपूर्वक दिया है मूल ऋणी से वसूल कर सकता है।

Scanned with CamScanner

Maanendra Mandal R.M.M. law College 29-04-2020
part time lecturer Saharsa. Continue

Contract of guarantee के लिए principal debtor का होना आवश्यक है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अगर principal debtor creditor के साथ अपने दायित्व के निर्वहन में चूक करता है तो surety का दायित्व principal debtor द्वारा की गई चूक के बाद उत्पन्न होता है। इस संविदा में principal debtor का दायित्व primary होता है और surety का दायित्व गौण होता है। यदि creditor के साथ principal debtor का कोई ऐसा प्रतिज्ञा नहीं है जिसे पूरा करने के लिए वह बाध्य है या दायित्व का निर्वहन करने के लिए दायी नहीं है तो प्रत्याभूति की संविदा का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार यदि surety किसी प्रतिज्ञा के पालन या दायित्व के निर्वहन के लिए अपने दायित्व को प्राथमिक बना लेता है तो यह प्रत्याभूति की संविदा नहीं है। इन विशेषताओं के साथ एक उल्लेखनीय तथ्य यह कि contract of guarantee के लिए principal debtor का होना ही आवश्यक नहीं है बल्कि उसके द्वारा लिया गया ऋण या उसका दायित्व जिसके सम्बन्ध में प्रत्याभूति दी गई है वह विधि द्वारा enforceable होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो contract of guarantee का निर्माण नहीं हो सकता है। इस प्रकार जो ऋण परिसीमा Limitation Act के अन्तर्गत कालवधित (Time-barred) हो गया है उसके सम्बन्ध में कोई व्यक्ति guarantee नहीं दे सकता है। अर्थात contract of guarantee के समय यदि ऋण limitation Act के अन्तर्गत Time-barred है तो उसके सम्बन्ध में भी guarantee नहीं दी जा सकती है। यदि principal debtor का दायित्व अवैध होने के कारण enforceable (अपरिवर्तनीय) हो जाता है तो वह surety के विरुद्ध भी परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है।

यदि किसी अवयस्क द्वारा लिए गये ऋण के लिए guarantee दी जाती है तो बम्बई उच्च न्यायालय के अनुसार surety दायी होगा। परन्तु मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार मामले की परिस्थितियों और तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि तथाकथित contract of guarantee वास्तव में contract of Indemnity है तो

Scanned with CamScanner

तथा कथित surety प्रतिभूति की संविदा के आधार पर अवयस्क द्वारा लिए गये ऋण के भुगतान के लिए दायी होगा, यदि ऐसा प्रतीत नहीं होता है और यह Contract of guarantee है तो वह दायी नहीं होगा।

2. प्रतिफल (धारा-127)

जिस तरह valid Contract के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है उसी प्रकार contract of guarantee के लिए भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। परन्तु creditor और surety के मध्य प्रत्यक्ष प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। यह धारा स्पष्ट करती है कि principal debtor के लाभ के लिए की गई प्रतिज्ञा surety द्वारा guarantee देने के लिए पर्याप्त प्रतिफल होगी।

इस प्रकार surety द्वारा दी गई guarantee के आधार पर principal debtor को creditor द्वारा उधार माल देना या ऋण देना guarantee के लिए पर्याप्त प्रतिफल होगा। उदाहरण के लिए गौरव सौरभ से उसे वस्तुएँ उधार बेचने और परिदत्त करने का प्रार्थना करता है। सौरभ वैसा करने के लिए इस शर्त पर रजामन्द हो जाता है कि नीरज वस्तुओं के कीमत के लिए guarantee दे। नीरज गौरव की देनगी की जाने की guarantee देने की प्रतिज्ञा करता है। यह नीरज की प्रतिज्ञा के लिए पर्याप्त प्रतिफल है।

3. मिथ्याव्यपदेशन या छिपाव द्वारा प्राप्त न किया गया हो (धारा - 142 और 143)

यदि कोई प्रत्याभूति लेनदार के ज्ञान या अनुमति के बिना मिथ्याव्यपदेशन से प्राप्त की गई है तो वह अविधिमान्य है (धारा-142) इसी प्रकार धारा 143 के अनुसार guarantee उस समय अविधिमान्य होगी जबकि तात्विक परिस्थितियों के बारे में creditor मौन धारण करता है और guarantee इस प्रकार के मौन धारण से प्राप्त की गई है concealment द्वारा प्राप्त guarantee भी illegal होती है।

4. मौखिक या लिखित (126)

प्रत्याभूति का लिखित होना आवश्यक नहीं है। यह लिखित या मौखिक हो सकती है। लेकिन इंग्लैंड में statutes of fraud के अनुसार प्रत्याभूति निभिमान्य तभी होती है जबकि यह लिखित हो और उस पर surety का हस्ताक्षर हो।

Scanned with CamScanner